Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

न्यूवोको विस्टॉस प्रा0 लिमिटेड जरिये **बनाम** **डालचन्द**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **धारा 89(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना–पत्र (रे.वि.)**	नं0 **015**	सन् **2018**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.09.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी **राकेश जैन** हाजिर। वकील प्रार्थी ने संशोधित अनवान पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। वकील प्रार्थी ने मृतक अप्रार्थी के विधिक वारिसान एवं प्रार्थी कंपनी की और से संयुक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया जो शामिल पत्रालवी रहे। रिकार्ड पर लिया जाता है। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा बहस प्रार्थना–पत्र का निवेदन किया गया। इस पर हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र को एक तरफा सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने की ईश्तदुआ के साथ अपनी बहस प्रार्थना–पत्र समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र का चिंतन–मनन किया। विपक्षी एवं प्रार्थी कंपनी से आपसी समझौता होकर राजीनामा हो चुका है एवं विपक्षी प्रार्थी कंपनी को विक्रय कर विक्रय विलेख प्रार्थी कंपनी के पक्ष में निष्पादित कर कब्जा प्रार्थी कंपनी को सिपुर्द किये जाने बाबत् विपक्षी सहमत है, अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजीयात का रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र प्रार्थी कंपनी के पक्ष में निष्पादित किये जाने हेतु सहमत है इस तथ्य को प्रार्थी कंपनी द्वारा स्वयं न्यायालय को अवगत कराया गया है ऐसी स्थिति में लोक अदालत की भावना से प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी कंपनी के निवेदन को स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी कंपनी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को विड्रोल में खारीज किया जाता है इसके साथ ही प्रार्थना–पत्र में मुआवजा राशि क39,71,230/– रूपये दिनांक 15.12.2014 से जमा की गई राशि प्रार्थी कंपनी को लौटाये जाने का तथ्य है, इस संबंध में प्रार्थी कंपनी नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। -S/d- (पीयुष समारिया) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 20.09.023	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official